

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.3 (ई)एसीपी/अनेमे II / 1988 / 726

दिनांक :- 13.07.2017

आदेश संख्या : 104/2017-18

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त(नियम)/2008/दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ. 11(7)वित्त(नियम) पार्ट-II/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ डी / रूल्स / 2008 - I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-बैंड 2 (9300-34800) में ग्रेड-पे 5400/- स्वीकृत की जाती है।)

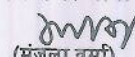
क्र.स.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच न.	कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वशीधर सैनी - [4902]	84 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	
2*	प्रेम चंद गुप्ता - [4722]	207 / 1988	18/04/1990	18/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
3*	राजकुमार शर्मा - [1708]	161 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
4*	राजेन्द्र कुमार शर्मा - [1725]	220 / 1988	17/04/1990	17/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
5*	राजेन्द्र सिंह मिसोदिया - [1733]	253 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
6*	राकेश कुमार सन्दूजा - [1795]	458 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
7*	रामविलास शर्मा - [1769]	384 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
8	रणजीत सिंह राठी - [1738]	273 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	
9*	रतनलाल शर्मा (विकलांग) - [1824]	531 / 1988	24/04/1990	24/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
10*	तुलसीदास अग्रवाल - [5521]	303 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
11*	बिनोद कुमार पारीक - [5694]	326 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय

*उपरोक्त क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

- 1 पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 2 पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
- 3 कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 4 इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
- 5 गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एसीपीआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि कम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 पर अंकित कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई पत्रिकूल प्राविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय

अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।

✓ अतिरिक्त निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

रक्षित/निजी पत्रावली।



(सांवर मल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)